कार्यालय उपनिदेशक उ0प्र0अग्निशमन सेवा –परिक्षेत्र –कानपुर एवं झाँसी

अग्निशमन केन्द्र फजलगंज परिसर –कानपुर नगर 208012

पत्रांक: डीडीआर–केएनसी/अ0प्र0पत्र(फतेहगढ़)/2018 (703) दिनांक: जनवरी 14,2018

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट ,
जनपद फर्रूखाबाद ।

विषय: जनपद फर्रूखाबाद की तहसील सदर के ग्राम भुल्लनपुर के खसरा नं0– 634 मि0 पर मेसर्स –हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा विषयक प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडीनं0– 2016/39503/एफजीएच/फतेहगढ़/258/डीडी

---------------------*---------------------

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 207/जे0ए0–बीस –वि0(अना0प्र0पत्र–17) दिनांक: 21.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मेसर्स–हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, खसरा नं0– 634 मि0, ग्राम भुल्लनपुर, तहसील सदर ,जनपद फर्रूखाबाद के लिए अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

अतः प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के प्रेषित मानचित्रों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण तथा अभिलेखों एवं मानचित्रों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर द्वारा कराया गया। निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांकित 13.01.2018 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या बिन्दुवार निम्नवत है:–

1. प्रस्तावित स्थल गुरसहायगंज –फर्रूखाबाद रोड पेन्टेड रोड 07 मीटर व फुटपाथ सहित 12 मीटर से अधिक चौड़ी रोड़ पर स्थित है, जहाँ तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।
2. प्रस्तावित स्थल पर रोड के साइड पर विद्युत लाइन पायी गयी जिसको सुरक्षा की दृष्टि से सम्बन्धित नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. स्थल मानचित्र के अनुरूप उपयुक्त है।
4. प्रस्तावित स्थल पर 35 केएल का 01एच0एस0डी0 व 16–16 केएल का 02एम0एस0 अण्डर ग्राउण्ड टैंक लगाया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्तावित स्थल 36X36मी0 के भूखण्ड पर प्रस्तावित है ।
6. प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 100 मीटर तक खाली जगह है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था–:

1. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1686 एवं आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0वी0/ई0एल0सी0वी0 का प्राविधान किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिये अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़े नहीं होने चाहिये एवं ऊँचाई 04 मीटर होनी चाहिये तथा उसके चारों ओर 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
3. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम–2002एवं ओ0आई0एस0डी0–225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिये ।
4. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेन्शर व लॉरी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है ।
5. टैंक लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग होना अति आवश्यक है ।
6. स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई स्टैण्ड पर 12 अदद रखी जाये ।
7. प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट के पास 02 अदद आई.एस.आई. मार्क ए0बी0सी0फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06किग्रा रखे जाये तथा समस्त अग्निसुरक्षा यन्त्र क्रियाशील होने चाहिये एवं उनका रख–रखाव नियमानुसार किया जाये।
8. इलेक्ट्रिक उपकरणों के पास आई.एस. मार्क सी.ओ.टू. फायर एक्सटिंग्यूशर 02 अदद क्षमता 4.5किग्रा रखे जाये ।

कृ0प0उ0

22-03-2018

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

9. डीजल जनरेटर सेट के पास आई.एस. मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 02 अदद क्षमता 06किग्रा रखे जाये ।
10. समरसेबुल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये व पम्प पर टी लगाकर लैण्डिग वाल्व /हाइडेण्ट लगाये जाये जिससे अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक पानी प्राप्त कर सके ।
11. लाइसेन्स एरिया में जनसेट बाक्स के पास सभी लाइटें फ्लेमप्रूफ होनी चाहिये ।
12. प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिये ।
13. इमरजेन्सी प्लान को ओ0आई0एस0डी0–225 के अनुसार होना चाहिये ।
14. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओ0आई0एस0डी0 –225 के अनुसार होनी चाहिये ।
15. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिये ।
16. जनपद के अग्निशमन केन्द्रो के टेलीफोन नम्बर /सी0यू0जी0 नम्बर बोर्ड पर अंकित होने चाहिये।
17. प्रवेश/निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिये जिससे रात्रि के समय वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा न हो ।
18. रिटेल आउटलेट पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण अग्निप्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा जिसकी ऊँचाई 06 फिट से कम नहीं होगी।
19. ग्राहकों की जागरूकता के लिये निम्न को बोर्ड पर अंकित कर लगायें :–

अ– तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर लें ।

ब– धूम्रपान न करें ।

स– मोबाइल स्विच ऑफ कर लें ।

20. मानचित्र में अंकित कम सं0–01 से 27 तक अंकित निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जाये ।

अतः मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर की संस्तुति के कम में एवं उपरोक्तानुसार निर्देशो/अनुबन्धों का पालन करने एवं अग्निसुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्रावधान ओआईएसडी–225 एवं पेट्रोलियम रूल्स के अनुसार करने की शर्त पर **जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर के ग्राम भुल्लनपुर के खसरा नं0– 634 मि0 पर मेसर्स –हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि रिटेल आउटलेट निर्माण के पश्चात एवं प्रयोग करने से पूर्व वर्णित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन कराकर अग्निशमन विभाग से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र

15/1/18

(एम0पी0सिंह)
उपनिदेशक फायर सर्विस,/
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर

उपनिदेशक, फा0स0/
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर ।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर को उनकी आख्या दिनांक 13.01.2018 के कम में अभिलेखार्थ एवं इस आशय से कि निर्गत की गयी एन0ओ0सी0 को ऑन लाइन अंकित करने हेतु।
2. प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, फतेहगढ़ को अभिलेखार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा इस निर्देश के साथ कि आवेदक की प्रति अपने स्तर से तत्काल वितरित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0एवं उनके प्रतिनिधि को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

22.03.2012

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)